

क्र. सं. एवं तारीख

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

1

2

3

2022

अभिलेख विपद्यापित। प्रथम पक्ष की ओर से उनसे विडान अधिवक्ता के द्वारा आवेदन देकर सूचित किया गया है कि ~~अपने~~ उपरोक्त मुकदमा प्रथम पक्ष विपक्षियों के प्रति अपने पति स्व. नाथो सेठ के प्रवर्तन की शक्तिप्राप्ति प्रति पर धारा - 145 द.प.सं. के तहत शीघ्रता के न्यायानुसंग में आवेदन की थी। बाढ़ में प्रथम पक्ष को जवाब प्रस्तुत करता था। परन्तु प्रथम पक्ष की दिनांक 20.12.2021 को अपने निवास स्थान पर स्वर्गवास हो गया। प्रथम पक्ष की ओर से कोई पैरवीकार नहीं होने से इस बाढ़ की कार्यवाही स्वतः समाप्त करने हेतु अशोध किया गया है।

अतः प्रथम पक्ष की ओर से उनसे विडान अधिवक्ता के द्वारा किया गया आवेदन को स्वीकार किया जाता है। इस बाढ़ में अभिलेख की कार्यवाही को बन्द किया जाता है।

20/12/2021
अनुमोल दण्डा
शुद्ध (सौची)